भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

429वीं आरजीपी बैठक का कार्यवृत्त
स्थान - तक्षशिला सम्मेलन कक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
दिनांक एवं समय- 19 मार्च 2024 अपराह्न 03:30 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. प्रो. किशोर के. बासा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण- ***अध्यक्ष***
2. श्री टी.एन. तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
3. श्री हेमराज आर. कामदार, पीटीएम, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, (*वस्तुतः उपस्थित*)
4. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य, सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

कार्यसूची 01

428वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मामला संख्या 01

(श्रीमती कार्तिकेश्वरी, 81, अन्नाई अंजुगम एसटी., सुभम नगर भाग-III, जमीन पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु-117)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **खारिज करने** का निर्णय लिया क्योंकि निर्माण कार्य प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना पूरा किया गया है, जो एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (2010 में संशोधित) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन है।

मामला संख्या 02

(रशीदमिया रसूलमिया शेख, स्वयं और रसूलमिया के पीओएएच हुसेनमिया शेख और अन्य, 1302, अखुनजी की गली, होज़वाली मस्जिद के पास, राजपुर, गोमतीपुर, अहमदाबाद, गुजरात-380021)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण आवेदन पर आगे विचार करने के लिए एएसआई और सक्षम प्राधिकारी, गुजरात के स्थानीय अधिकारियों के साथ प्रस्तावित निर्माण स्थल **का दौरा करेगा।**

मामला संख्या 03

(श्री विनोद केशूभाई जोड और रिज़वानअहमद अब्दुलमाजिद मंधाई, एसबीआई बैंक के पीछे, ठक्कर प्लॉट, पोरबंदर, गुजरात)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सीएस नंबर 4935/भाग और 4936/भाग, वार्ड-I, जूना दरबार गढ़, पोरबंदर, गुजरात में 09.98 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ जीएफ= 30.7534 वर्गमीटर, 1एफ=2एफ=30.85 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय और वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय

भास्कर वर्मा

लिया। सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 04</u>

(श्री भरत भाई राजाभाई नकुम, श्री अशोकभाई राजाभाई नकुम और श्री जयदेव राजाभाई नकुम, भटहां चौक, द्वारका, गुजरात-361335)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सीएस नंबर 1276, 1277, 1278, शीट नंबर 31 और सीएस नंबर 1279, शीट नंबर 38, द्वारका, देवभूमि द्वारका, गुजरात में 14.85 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+3मंजिल+टेरेस फ्लोर के साथ GF=1F=2F=3F=182.81 वर्गमीटर और टेरेस फ्लोर=32.07 वर्गमीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 05</u>

(श्री हिरेन कुमार रमेशचंद्र जोगिया, हेम रत्न ज्वैलर्स, एमजी रोड, पोरबंदर, गुजरात-360575)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सीएस नंबर 5773, वार्ड नंबर 1, एमजी रोड, पोरबंदर, गुजरात में 07.95 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ GF=1F=17.4658 वर्गमीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 06</u>

(श्री कीर्तन अनिल भाई पाढ़, मार्केट चौक के पास, द्वारका, गुजरात-361335)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सीएस नंबर 2198, शीट नंबर 37, द्वारका, देवभूमि द्वारका, गुजरात में 09.50 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1+टैरेस फ्लोर के साथ GF=1F=43.75 वर्गमीटर और टेरेस फ्लोर=06.44 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। आवेदक को प्रस्तावित स्थल पर निर्माण शुरू करने से पहले नगर पालिका/स्थानीय प्राधिकरण से "कोई आपत्ति नहीं प्रमाण-पत्र" प्राप्त करना होगा, अन्यथा प्राधिकरण की सिफारिश वापस ले ली जाएगी। इसके अलावा, आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना होगा।

<u>मामला संख्या 07</u>

(श्री दुष्यन्त केएच, पुत्र बीसी हलप्पा कडेगर्जे, अरेहल्ली (एच), हसन (डी) बेलूर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक को प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा पत्र फिर से जमा करने के लिए कहा। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से आवेदक उपरोक्त अवलोकन का अनुपालन करते हुए प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है।

मामला संख्या 08

(श्री दानप्पा पुत्र शिवप्पा जदार, पुत्र शिवप्पा टक्के रोड, ट्रेजरी कॉलोनी, बीजापुर, कर्नाटक-586102)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 742/सी, प्लॉट नंबर 49, ट्रेजरी कॉलोनी, महल बागायत, विजयपुरा, बीजापुर, कर्नाटक में 07.60 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ GF=1F=147.20 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 09

(श्री डेविड मल और श्रीमती अनुश्री सरकार, मरुई बाजार, बिष्णुपुर, पीओ+पीएस-बिष्णुपुर, जिला-बांकुरा, पश्चिम बंगाल-722122)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 13362 (आरएस) और 22331 (एलआर), बी.एड कॉलेज के पास, जिला-बिष्णुपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल में 08.90 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=80.00 वर्गमीटर, 1एफ=85.00 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 10

(डिवीजनल इंजीनियर, डिविजनल इंजीनियर का कार्यालय (राजमार्ग), नंबर 18/46, 5वां वेस्ट क्रॉस रोड, गांधी नगर, काटपाडी वेल्लोर, तमिलनाडु-632006)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक को रोड ओवर ब्रिज की ऊंचाई का उल्लेख करते हुए भवन योजना प्रस्तुत करते समय प्रस्तावित कार्य पर प्राधिकरण के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कहा।

मामला संख्या 11

(श्री वरदराजू ए.एन. पुत्र अदविशेट्टी, टैंक रोड, नागमंगला टाउन, जिला-मांड्या, कर्नाटक-571432)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया:

क) स्व-घोषणा में प्रस्तावित निर्माण स्थल का पता नहीं है।
ख) आवेदक द्वारा स्व-घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है।

इसका अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत कर सकता है।

मामला संख्या 12

(श्रीमती गीता एम, पत्नी श्रीनिवास एन, #12/02, चिक्का जोनिगारा स्ट्रीट, श्रीरंगपटना, मांड्या जिला, कर्नाटक-571438)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने खाता संख्या एस-550/1/515/1, जोनीगारा स्ट्रीट, श्रीरंगपट्टन, कर्नाटक में 09.90 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ जीएफ=1एफ=2एफ=17.19 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 13

(श्रीमती एच.जी. विजयलक्ष्मी, पत्नी सी. जयराम, चौथा क्रॉस, गोसे गौड़ा स्ट्रीट, श्रीरंगपट्टनम, मांड्या, कर्नाटक-571438)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने खाता संख्या एस-112/352/353/1/353/2/66, कमल्या लेआउट, चंदागालु रोड, श्रीरंगपटना, कर्नाटक में 09.90 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ जीएफ=1एफ=61.37 वर्गमीटर, 2एफ=37.92 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 14

(श्रीमती टी.गायत्री, पत्नी टी. गिरिधर, #10, 3रा क्रॉस, जयंती टाइल्स फैक्ट्री रोड, मंजूनाथ लेआउट, बैंगलोर नॉर्थ, बैंगलोर, कर्नाटक-560032)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने खाता संख्या एस-5315/1499/ए/1434/ए, बल्लारी, गोविंदराव रोड, श्रीरंगपटना, कर्नाटक में 07.50 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=32.80 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 15

(शहनाज बेगम, पत्नी स्वर्गीय प्यारे जान, "उमरा चिकन सेंटर" के बगल में, अमीर जॉन रोड, गुंडलूपेट, जिला-चामराजनगर, कर्नाटक - 571111)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने असेट. नं. 741/584/2, पीआईडी नंबर 19-6-13, प्रथम डिवीजन, 5वां वार्ड, अमीर जॉन रोड, गुंडलुपेट, कर्नाटक में 09.00 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ जीएफ=1एफ=2एफ=70.20 वर्गमीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया।

मस्कर वर्मा

सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 16

(श्रीमती इंदिरा एम, पत्नी प्रकाश, फ्लैट नंबर 701, टॉवर-15, 7वीं मंजिल, एल एंड टी रेनट्री बुलेवार्ड, जीकेवीके के बगल में, बेल्लारी रोड, बयातारायणपुरा, बैंगलोर, कर्नाटक-560092)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक को प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा पत्र फिर से जमा करने के लिए कहा। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से आवेदक उपरोक्त अवलोकन का अनुपालन करते हुए प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है।

मामला संख्या 17

(श्रीमती बरकाथुन्निसा, डी/ओ ओ. एम. शोकथली, मारिगुडी रोड, बिसाइड सोसाइटी, गुंडलूपेट, जिला-चामराजनगर, कर्नाटक-571111)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक को प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा पत्र फिर से जमा करने के लिए कहा। उपरोक्त अवलोकन का अनुपालन करते हुए आवेदक सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है।

मामला संख्या 18

(श्री राघवेंद्र आर, # एस-807/777, शनमुगा टेलर शॉप के पास, गोविंदप्पा स्ट्रीट, श्रीरंगपटना, जिला-मांड्या, कर्नाटक-571438)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने खाता संख्या एस-5140/352/353/1/353/2/96, कमल्या लेआउट, चंदागालू रोड, श्रीरंगपटना, कर्नाटक में 09.90 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ GF=1F=60.25 वर्गमीटर, 2F=41.09 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 19

(श्री मदनलाल पुत्र श्री बबरू जी, 82, चौधरी नगर, हक्कानीपुरा, जिला उज्जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने खसरा नंबर 252, गांव और पटवारी हल्का उंदासा, तहसील उज्जैन जिला-उज्जैन मध्य प्रदेश में 07.50 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ GF=1F=1118 वर्गमीटर तलक्षेत्र के संस्थागत भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 20

(द कोचीन क्लब, सेंट फ्रांसिस चर्च रोड, पीबी नंबर 07 नंबर 1/695, फोर्ट कोच्चि, एर्नाकुलम, केरल-682001)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को प्रस्तावित निर्माण के लिए ऊंचाई 07.50 मीटर (सभी सहित) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, केरल के माध्यम से आवेदक उपरोक्त अवलोकन का अनुपालन करते हुए संशोधित भवन योजना प्रस्तुत कर सकता है।

मामला संख्या 21

(श्री प्रिंसी एंटनी एसी, द सुपीरियर, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट, थालास्सेरी, पीओ कन्नूर, केरल- 670102)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को मौजूदा इमारत की वर्तमान ऊंचाई सहित कार्य के दायरे को विस्तृत करने तथा प्रस्तावित इमारत की अधिकतम ऊंचाई 14.85 मीटर (सभी को मिलाकर) को सीमित करने तथा सक्षम प्राधिकारी, केरल के माध्यम से संशोधित भवन योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया।

मामला संख्या 22

(श्रीमती ज़ैनबा, परक्कल हाउस, वेल्लारक्कड़, डाकघर त्रिशूर, केरल-680604)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 513/1-3, 513/1-2, गांव- चिरामनंगड, कुन्नमकुलम, कदनगोडे, जिला-त्रिशूर, केरल में 04.99 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के साथ जीएफ=48.89 वर्गमीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 23

(श्री संदीप और गीथू, मुल्लेज़थ हाउस, तिरुवंचिकुलम, कोडुंगल्लूर पीओ त्रिशूर, केरल-680664)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 43/2-27, 43/2-26, वार्ड नंबर XVIII, गांव-मेथला, तालुक-कोडुंगल्लूर, जिला-त्रिशूर, केरल में 05.00 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के साथ जीएफ=223.17 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 24

(श्री जॉनसन पीयू, पुलिक्कोट्टिल हाउस, चिरक्कल, कट्टकम्पल, पीओ त्रिशूर, केरल-680544)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आर सर्वे नंबर 320/12, गांव-कट्टकम्पल, पंचयाथ-कट्टकम्पल, जिला-त्रिशूर, केरल में 07.50 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ=29.28 वर्गमीटर, 1एफ=22.08 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 25

(श्री जी.वी. बालकृष्णन, गोपुरथिंगल, वेलुथेदथ हाउस, वलप्पाड, पीओ त्रिशूर, केरल-680567)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 294/12ए, नट्टिका, पंचायत- नट्टिका, तालुक-चावक्कड, जिला-त्रिशूर, केरल में 07.28 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=105.23 वर्गमीटर, 1एफ=60.55 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 26

(श्रीमती इंदिरा एम.के. और अखिल वी.वी., वलीपराम्बिल हाउस, ईयाल पीओ त्रिशूर, केरल-680501)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 1144/2-4, ग्राम-ईयाल, ग्राम पंचायत- कदनगोडे, तालुक-कुन्नमकुलम, त्रिशूर, केरल में 07.35 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ GF=72.37 वर्गमीटर, 1F=40.01 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 27

(श्रीमती लीना चन्द्रशेखर चौंगुले एवं श्रीमती गायत्री चन्द्रशेखर चौंगुले, गैट नं. 114/2, पन्हाला, तहसील-पन्हाला, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416201)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण आवेदन पर आगे विचार करने के लिए एएसआई और सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र के स्थानीय अधिकारियों के साथ प्रस्तावित निर्माण स्थल का **दौरा करेगा।**

मामला संख्या 28

(श्री अशोक मोटुमल आहूजा, वार्ड क्रमांक-5 एटी पोस्ट पन्हाला तहसील पन्हाला, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416201)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण आवेदन पर आगे विचार करने के लिए एएसआई और सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र के स्थानीय अधिकारियों के साथ प्रस्तावित निर्माण स्थल का **दौरा करेगा।**

मामला संख्या 29

(श्री परमेश्वर महदु सौभागे, मालीपेठ, वार्ड नंबर 10, मेहकर, तालुक-मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र-443301)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर 56/10, नई संपत्ति/मकान नंबर Z110001416, जोन 01, वार्ड नंबर 10, मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र में **08.04 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ GF=1F=22.93 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 30

(श्रीमती अमीना बी शेख़ मस्तान, मालीपेठ, राजा नगर, वार्ड नंबर 09 मेहकर, तालुक-मेहकर, जिला बुलढाणा-443301, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर 299/1, नई संपत्ति/मकान नंबर Z21000330, जोन 02, वार्ड नंबर 01, मेहकर, जिला बुलढाणा महाराष्ट्र में **05.22 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के साथ जीएफ=42.79 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति, फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को आवेदक का नाम और प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों तथा भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करने के अधीन है।

मामला संख्या 31

(श्रीमती बी.बी. फते मोहम्मद, मालीपेठ, राजा नगर, वार्ड नंबर 09 मेहकर, तालुक-मेहकर, जिला बुलढाणा-महाराष्ट्र 443301)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर 349/10, नई संपत्ति/मकान नंबर Z110001714, जोन 01, वार्ड नंबर 09, मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र में **04.00 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के साथ जीएफ=25.92 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति, फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को आवेदक का नाम और प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों तथा भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करने के अधीन है।

मामला संख्या 32

(श्रीमती कस्तूराबाई हरिभाऊ भारस्कर, मालीपेठ, वार्ड नंबर 01 मेहकर, तालुक-मेहकर जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र-443301)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर 206/01, नई संपत्ति/मकान नंबर Z21000232, जोन 02, वार्ड नंबर 01, मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र में **05.05 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के साथ जीएफ=83.94 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति, फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को आवेदक का नाम और प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों तथा भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करने के अधीन है।

मामला संख्या 33

(श्रीमती जमीलाबी गनी और भाग्य मोहम्मद, वार्ड नंबर 12 मेहकर, तालुक-मेहकर जिला बुलढाणा-443301, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर 117/12, नई संपत्ति/मकान नंबर Z212001162, जोन 02, वार्ड नंबर 12, मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र में **04.50 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के साथ जीएफ=28.07 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति, फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को आवेदक का नाम और प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों तथा भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करने के अधीन है।

मामला संख्या 34

(श्रीमती अंबिका प्रभाकर पवार, मालीपेठ, वार्ड नंबर 01 मेहकर, तालुक-मेहकर, जिला-बुलढाणा-443301, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर-166/1, नई संपत्ति/मकान नंबर Z21000191, जोन 02, वार्ड नंबर 01, मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र में **05.07 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के साथ जीएफ (मौजूदा)=16.68 वर्गमीटर, (प्रस्तावित) जीएफ=44.68 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति, फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को आवेदक का नाम और प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों तथा भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करने के अधीन है।

मामला संख्या 35

(श्री मदन विश्वनाथ चागाडे, मालीपेठ, वार्ड नंबर 10, मेहकर, तालुक-मेहकर जिला- बुलढाणा, महाराष्ट्र-443301)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर-23/10, नई संपत्ति/मकान नंबर Z110001382, जोन 01, वार्ड नंबर 10, मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र में **05.52 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के साथ जीएफ=46.40 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति, फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को आवेदक का नाम और प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों तथा भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करने के अधीन है।

मामला संख्या 36

(श्री देवीदास दाजीबा मायराल, मालीपेठ, वार्ड नंबर 01 मेहकर, तालुक-मेहकर जिला- बुलढाणा-443301, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर-146/01, नई संपत्ति/मकान नंबर Z21000171, वार्ड नंबर 01, मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र में **07.50 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ GF=1F=17.20 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति, फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को आवेदक का नाम और प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों तथा भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करने के अधीन है।

मामला संख्या 37

(श्री सुरेश भीमराव गायकवार्ड, मालीपेठ, वार्ड नंबर 01 मेहकर, तालुक-मेहकर जिला-बुलढाणा- महाराष्ट्र 443301)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर-231/1, नई संपत्ति/मकान नंबर Z21000259, जोन 02, वार्ड नंबर 01, मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र में **08.07 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=26.13 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति, फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को आवेदक का नाम और प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों तथा भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करने के अधीन है।

मामला संख्या 38

(श्री विष्णु महादु सौभागे, मालीपेठ, वार्ड नंबर 01 मेहकर, तालुक-मेहकर, जिला-बुलढाणा-443301, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर-47/10, नई संपत्ति/मकान नंबर Z110001406, जोन 01, वार्ड नंबर 10, मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र में **03.90 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के

साथ जीएफ=33.90 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति, फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को आवेदक का नाम और प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों तथा भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करने के अधीन है।

<u>मामला संख्या 39</u>

(श्री नीलेश रत्नाकर इंगवाले और श्री वाइनरी बालासाहेब इंगवाले, सीटीएस नंबर 453 ए+बी, शिवाजी नगर, जिला-पुणे, महाराष्ट्र-411005)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) फॉर्म-I, फॉर्म-II, स्व-घोषणा और भवन योजना के अनुसार केवल दो मालिकों के नाम का उल्लेख किया गया है, हालांकि संपत्ति दस्तावेज में चार नामों का उल्लेख किया गया है।

ख) प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 18.00 मीटर (सभी को सम्मिलित करते हुए) तक सीमित रखी जानी चाहिए।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करते हुए आवेदक सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र के माध्यम से प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है।

<u>मामला संख्या 40</u>

(श्रीमती निर्मला मुकुंद उपाध्ये, गुरुद्वारा के पीछे, प्लॉट नंबर 88/2, दगडुशेठ, अंतरिक्ष नगर-2, हॉटगी रोड, सोलापुर नॉर्थ जिला नयालया, जिला-सोलापुर, महाराष्ट्र-413007)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को इस टिप्पणी के साथ **वापस भेजने** का निर्णय लिया कि बिल्डिंग प्लान में बेसमेंट एरिया के विवरण का उल्लेख नहीं है। आवेदक आवश्यक अनुपालन के बाद सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र के माध्यम से आवेदन पुनः जमा कर सकता है।

<u>मामला संख्या 41</u>

(श्री प्रकाश श्री कृष्ण कुलकर्णी, 568, सोमवार पेठ, कराड, जिला-सतारा, महाराष्ट्र-415110)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) स्व-घोषणा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है जो राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

ख) आवेदक को प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 17.10 मीटर (सभी सम्मिलित) तक सीमित रखनी चाहिए।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र के माध्यम से प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है।

<u>मामला संख्या 42</u>

(श्रीमती सीमा जालिंदर अजेतराव, एट/पोस्ट-बरव, (जुन्नर), तहसील-जुन्नार, जिला-पुणे, महाराष्ट्र -410502)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने बरव, (पाडली), गाट नंबर 11/4 भाग, जुन्नार, तहसील-जुन्नार, जिला-पुणे, महाराष्ट्र-410502 में **11.70 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ GF=24.15 वर्गमीटर, 1F=2F=70.89 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने

की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों तथा भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करने के अधीन है।

मामला संख्या 43

(श्री सुरेश प्रभाकर जंघारे, मालीपेठ में, वार्ड नंबर 10 मेहकर, तालुक-मेहकर जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र-443301)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर-150/10, नई संपत्ति/मकान नंबर Z110001512, वार्ड नंबर 10, मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र में **04.55 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के साथ जीएफ=25.76 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को आवेदक का नाम और प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों तथा भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करने के अधीन है।

मामला संख्या 44

(श्री शशिकांत नारायण बेंद्रे, सीटीएस नंबर 2598, कस्बा पेठ, खटीक गली, फलटन, जिला- सतारा, महाराष्ट्र-415523)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सी.टी.एस. नंबर 2598, कसबा पेठ, खटीक गली, फलटन, जिला-सतारा, महाराष्ट्र-415523 में **09.25 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के साथ जीएफ (मौजूदा)=108.93 वर्गमीटर, 1एफ (प्रस्तावित)=108.93 वर्गमीटर तलक्षेत्र के मौजूदा आवासीय भवन के प्रथम तल के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 45

(श्री महेश हौशिराम फटांगरे, एट/पोस्ट-बरव, (जुन्नर) तहसील-जुन्नर, जिला, महाराष्ट्र-410502)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने इस टिप्पणी के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया कि स्व-घोषणा (राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप के अनुसार) संलग्न नहीं है। आवेदक आवश्यक अनुपालन के बाद सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र के माध्यम से आवेदन जमा कर सकता है।

मामला संख्या 46

(श्रीमती माधवी विजयसिंह पावर, वार्ड क्रमांक-5 पोस्ट पन्हाला तहसील-पन्हाला, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416201)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) प्रस्तावित साइट का पता स्व-घोषणा में उल्लिखित नहीं है।

ख) प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आवेदक का स्वामित्व स्थापित करने वाले संपत्ति दस्तावेज संलग्न नहीं हैं।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र के माध्यम से प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है।

मामला संख्या 47

(श्री गणेश मारुति केदारी, पोस्ट, बैराव, तहसील जुन्नर, जिला-पुणे, महाराष्ट्र-410502, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने क्र.सं. 13/2/2/2, मौजे बैरव, तहसील जुन्नर, जिला-पुणे, महाराष्ट्र पर निम्नलिखित विवरण के साथ आवासीय सह वाणिज्यिक भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया:

क्रम सं.	बिल्डिंग प्रकार	मंजिल	ऊंचाई	तहखाना	निर्मित क्षेत्र वर्ग मीटर
1	ब्लॉक - 1 - रसोई और भोजन कक्ष	जीएफ	6.45 मीटर	0	498.01
2	ब्लॉक - 2 - प्रदर्शनी हॉल	जीएफ	6.45 मीटर	0	498.89
3	ब्लॉक - 3 - सामान्य शौचालय	जीएफ	3.45 मीटर	0	55.52
4	ब्लॉक - 4 - बंगला(ए)	जीएफ	7.65 मीटर	0	69.27
		सीमांत बल			49.49
5	ब्लॉक - 4 - बंगला (बी)	जीएफ	7.65 मीटर	0	69.27
		सीमांत बल			49.49
6	ब्लॉक - 4 - बंगला (सी)	जीएफ	7.65 मीटर	0	69.27
		सीमांत बल			49.49
7	ब्लॉक - 4 - बंगला (डी)	जीएफ	7.65 मीटर	0	69.27
		सीमांत बल			49.49
8	ब्लॉक - 4 - बंगला(ई)	जीएफ	7.65 मीटर	0	69.27
		सीमांत बल			49.49
9	ब्लॉक - 4 - बंगला (एफ)	जीएफ	7.65 मीटर	0	69.27
		सीमांत बल			49.49
10	ब्लॉक - 4 - बंगला (जी)	जीएफ	7.65 मीटर	0	69.27
		सीमांत बल			49.49
11	ब्लॉक - 4 - बंगला (एच)	जीएफ	7.65 मीटर	0	69.27
		सीमांत बल			49.49
12	ब्लॉक-5-डॉर्मिटरी	जीएफ	5.30 मीटर	0	83.26
13	ब्लॉक-6-परिवार कक्ष	जीएफ	5.30 मीटर	0	124.90
14	ब्लॉक-7-विशेष कक्ष(ए)	जीएफ	5.30 मीटर	0	83.72
15	ब्लॉक-7-विशेष कक्ष (बी)	जीएफ	5.30 मीटर	0	83.72
16	ब्लॉक-7-विशेष कक्ष(सी)	जीएफ	5.30 मीटर	0	83.72
17	ब्लॉक-8-एकल कक्ष	जीएफ	5.30 मीटर	0	42.55
कुल					2504.41

सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 48

(श्रीमती सुनंदा समाधान सम्पत वानखडे, मालीपेठ, वार्ड नंबर 10 मेहकर, तालुक-मेहकर जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र-443301)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर 18/10, नई संपत्ति/मकान नंबर Z110001376, जोन 01, वार्ड नंबर 10 मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र में **04.00 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के साथ जीएफ=29.32 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को आवेदक का नाम और प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों तथा भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करने के अधीन है।

मामला संख्या 49

(कार्यपालक अभियंता, म.प्र. पर्यटन विकास निगम, भोपाल, तानसेन रेजीडेंसी, 6ए, गांधी रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश)

केंद्रीय संरक्षित संस्मारक "ककनमठ" के समीप पर्यटक सुविधा केन्द्र एवं गार्ड रूम के निर्माण हेतु आवेदन पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया। प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (2010 में संशोधित) की धारा 2 (डीसी) में दिए गए अनुसार 'निर्माण' की परिभाषा के अपवाद खंड के तहत व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए उसे ककनमठ, सर्वे नंबर 364(एस), सरकारी भूमि, मध्य प्रदेश में पर्यटक सुविधा केंद्र और गार्ड रूम के निर्माण पर **'कोई आपत्ति नहीं' है।** यह सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के पालन के अधीन है। एएसआई की देखरेख में कार्य को अंजाम दिया जाए। परियोजना को पूरा करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 50

(श्री त्रयंबक रामभाऊ इंगले, मालीपेठ, वार्ड नंबर 10 मेहकर, तालुक-मेहकर, जिला-बुलढाणा, महाराष्ट्र-443301)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर-30/10, नई संपत्ति/मकान नंबर Z110001388, जोन नंबर 01, वार्ड नंबर 10, मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र में **04.00 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के साथ जीएफ=48.63 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति, फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को आवेदक का नाम और प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों तथा भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करने के अधीन है।

मामला संख्या 51

(गफूर शाह नादर शाह, मालीपेठ में, वार्ड नंबर 10 मेहकर, तालुक-मेहकर, जिला-बुलढाणा, महाराष्ट्र-443301)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर-179/10, नई संपत्ति/मकान नंबर Z110001514, जोन नंबर 01, वार्ड नंबर 10, मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र में **04.00 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के साथ जीएफ=39.22 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति, फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को आवेदक का नाम और प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों तथा भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करने के अधीन है।

मामला संख्या 52

(श्रीमती तुलसाबाई उमाकांत सौभाग, मालीपेठ, वार्ड नंबर 01 मेहकर, तालुक-मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र-443301)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर-30/1, नई संपत्ति/मकान नंबर-जेड21000048, जोन नंबर 02, वार्ड नंबर 01, मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र में **05.03 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के साथ जीएफ=30.00 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को आवेदक का नाम और प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों तथा भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करने के अधीन है।

मामला संख्या 53

(श्रीमती लक्ष्मी रमेश जाधव, मालीपेठ, वार्ड नंबर 01, मेहकर, तालुक-मेहकर, जिला- बुलढाणा, महाराष्ट्र-443301)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर-30/1, नई संपत्ति/मकान नंबर-जेड21000048, जोन नंबर 02, वार्ड नंबर 01, मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र में **05.07 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के साथ जीएफ=41.98 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति, फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को आवेदक का नाम और प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों तथा भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करने के अधीन है।

मामला संख्या 54

(श्रीमती शशिकला मारोती गायकवाड़, मालीपेठ, वार्ड नंबर 01, तालुक मेहकर, जिला-बुलढाणा, महाराष्ट्र-443301)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/घर नंबर-228/01, नई संपत्ति/मकान नंबर Z21000266, जोन नंबर 02, वार्ड नंबर 01, मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र में **05.03 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के साथ जीएफ=41.30 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति, फॉर्म-IV जारी करने से

पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को आवेदक का नाम और प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों तथा भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करने के अधीन है।

मामला संख्या 55

(श्री रमेश भीमराव गायकवाड़, मालीपेठ, वार्ड नंबर 01, मेहकर, तालुक-मेहकर, जिला-बुलढाणा, महाराष्ट्र-443301)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पुरानी संपत्ति/मकान नंबर-230/1, नई संपत्ति/मकान नंबर Z21000258, जोन नंबर 02, वार्ड नंबर 01, मेहकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र में **08.07 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ GF=1F= 28.80 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन **(प्रधानमंत्री आवास योजना)** के निर्माण की अनुमति, फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र को आवेदक का नाम और प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा (राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों तथा भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करने के अधीन है।

मामला संख्या 56

(मुख्य अधिकारी, पन्हाला हिल स्टेशन नगर परिषद, सीएस नंबर-10, पन्हाला हिल स्टेशन नगर परिषद, पन्हाला, तहसील पन्हाला, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने नगर परिषद के पीछे, हॉकर्स जोन, सीएस नंबर 10, महाराष्ट्र में भवन योजना के अनुसार **04.50 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ=111.18 वर्गमीटर तलक्षेत्र के सार्वजनिक शौचालय के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

अनुपालन मामला

मामला संख्या 57

(श्री एस. बालामुरुगन, दरवाजा नंबर 6/602 वीरपांडिया कट्टाबोम्मन स्ट्रीट, लक्ष्मी नगर पोलिचलूर, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एस नं. 912/4, कुंद्राथुर, कांचीपुरम, तमिलनाडु में **10.52 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ जीएफ=1एफ=56.12, 2एफ=39.41 वर्गमीटर, हेड रूम क्षेत्र=11.33 वर्गमीटर, चारदीवारी=01.52 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 58

(श्रीमती एम. गीता, नंबर 7, तीसरी स्ट्रीट, विजयलक्ष्मी नगर, नानमंगलम, चेन्नई, तमिलनाडु-17)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण 344/22ए1बी कुंद्राथुर, कांचीपुरम, तमिलनाडु में **10.52 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ क्षेत्र=84.10 वर्गमीटर, 1एफ क्षेत्र=86.94 वर्गमीटर, हेड रूम क्षेत्र=16.07 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 59

(श्री जे. कन्नन, नंबर 19, अंबिगापति स्ट्रीट, पावेंडर नगर, कट्टुपक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु-56)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एस. नं. 912/1A1C, कुंद्राथुर, कांचीपुरम, तमिलनाडु में **10.52 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=67.10 वर्गमीटर, हेड रूम क्षेत्र=09.20 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 60

(एफ. शाहीन, नंबर 24 कामराजार स्ट्रीट, पद्मावती नगर, कुंद्राथुर, चेन्नई, तमिलनाडु-69)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एस. नं. 317/26, कुंद्राथुर नगर पालिका, कांचीपुरम, तमिलनाडु में **10.52 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=110.13 वर्गमीटर, हेड रूम क्षेत्र=09.93 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 61

(श्री आर.मनोज कुमार, नंबर 147/1,एन.नं.196, डेमेलोज़ रोड, पट्टालम, पेरंबूर बैरक, चेन्नई, तमिलनाडु-600012)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 36, एस. नंबर 20/96, सिथलप्पकम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 13.56 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ स्टिल्ट+3 मंजिल के साथ स्टिल्ट=1F=2F=3F= 157.47 वर्गमीटर हेडरूम क्षेत्रफल=16.25 वर्गमीटर, चारदीवारी=01.52 मीटर के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 62

(श्री एम. हरिहरसुधन और श्रीमती के. भवानी, नंबर 3/286, 3रा मेन रोड, राघव नगर,मडिपक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु-600091)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एस. नं. 924/7B, 925/5A2B और 924/12, चेन्नई, कुंद्राथुर, कांचीपुरम, तमिलनाडु में **10.10 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के साथ भूतल=59.20 वर्गमीटर, खुली जगह कार पार्किंग क्षेत्र=74.81 वर्गमीटर, छत का तलक्षेत्र=14.95 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 63

(श्री ए. रामकुमार, नं. 21, सांगवी स्ट्रीट, सुभम नगर भाग 1, ज़मीन पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु -600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पी. .न. 22, एस. नंबर 14/5 सी3 अपार्ट, ज़मीन पल्लावरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **16.87 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ स्टिल्ट+3 मंजिल के साथ एफएसआई क्षेत्र: प्रस्तावित 1एफ=2एफ=3एफ=140.76 वर्गमीटर, गैर एफएसआई क्षेत्र: प्रस्तावित स्टिल्ट तलक्षेत्र=140.76 वर्गमीटर, हेडरूम क्षेत्र और लिफ्ट क्षेत्र=15.01 वर्गमीटर के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 64

(श्री मुकेश मोहनदास सुखवानी एमएच डेवलपर के मालिक/साझेदार के रूप में, सब प्लॉट नंबर 20/बी, सिद्धिविनायक अस्पताल के पीछे, पुनित आश्रम रोड, मणिनगर, अहमदाबाद, गुजरात-380008)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एस.पी. नंबर 20/बी, (सीएस नंबर 176), एफ.पी. नंबर 96/2, टी.पी.एस. नंबर 4, (मणिपुर) (द्वितीय विविध), मणिपुर (मणिनगर), अहमदाबाद, गुजरात में **22.79 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ (एचपी), जीएफ (एसपी)+6+सीढ़ी केबिन (छत मंजिल) के साथ जीएफ (एचपी)=75.13 वर्गमीटर, जीएफ (एसपी)=42.89 वर्गमीटर, 1एफ=2एफ=3एफ=4एफ=5एफ= 6एफ=118.02 वर्गमीटर और एससी (छत तल)=22.37 वर्गमीटर के वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 65

(श्रीमती जी. धनलक्ष्मी, मकान नंबर 348, सिद्धेश्वरा जनरल स्टोर 18वाँ वार्ड, एसआर नगरा, होसपेट, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पीआईडी नंबर 7-3-588-727, प्लॉट नंबर 18, सर्वे नंबर 31/ए3ए, 7वाँ वार्ड, रेनुकाचार्य आवासीय बडावणे क्षेत्र, होसपेट, बेल्लारी, कर्नाटक में **07.80 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=39.90 वर्गमीटर, एफएफ=78.40 वर्गमीटर के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 66

(श्रीमती अनीता पत्नी सिद्दुबा सूर्यवंशी और अन्य, राम मंदिर रोड, जिला- विजयपुर, कर्नाटक-586101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सीटीएस नंबर 433/2डी, विजयपुर सिटी, बीजापुर कर्नाटक में **07.50 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ GF=1F=26.65 वर्गमीटर के वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 67

(श्रीमती एच आर भारती, पत्नी गणेश सिद्दप्पा शेट्टी, जेपी नागरा मुदिगेरे रोड बेलूर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने के.एच. नंबर 4354/3197, मुदिगेरे रोड, बेलूर, हसन, कर्नाटक में **09.00 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ GF=1F=2F=188.65 वर्गमीटर के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 68

(श्री नागभूषण, 330, तीसरी मंजिल, चौथी ए मुख्य, एनजीईएफ लेआउट का पूर्व, राम मूर्ति नगर पुलिस स्टेशन के पास, कस्तूरी नागारा, बैंगलोर (उत्तर), कर्नाटक-560016)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने खाता संख्या 3881/2768, वार्ड संख्या 9, रामारायारा स्ट्रीट, फोर्ट बेलूर, जिला-हसन, कर्नाटक में **07.49 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ GF=1F=69.19 वर्गमीटर के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 69

(श्री अरविन्द शर्मा एवं श्रीमती रामकन्या अपने जीपीए श्री मनदीप छतवाल और श्री अमित गुप्ता, 40, आनंद लोक, नई दिल्ली के माध्यम से)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने डी-178, साकेत, नई दिल्ली में **18.00 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट+स्टिल्ट+जीएफ+3 मंजिलों के साथ बेसमेंट=स्टिल्ट=जीएफ=1एफ=2एफ=3एफ=156.75 वर्गमीटर, बेसमेंट गहराई=03.27 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 70

(श्री मा.नि.प्रा., सदाशिव स्वामीगलु गुरु शिवलिंग स्वामीगलु, हुक्केरीमठ, जिला-हावेरी, कर्नाटक-581110)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सक्षम प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने के लिए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया कि क्या एएसआई, धारवाड़ सर्किल द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का आवेदक द्वारा अनुपालन किया गया है या नहीं।

मामला संख्या 71

(श्रीमती सुनंदा मल्लिकार्जुन गंगनल्ली, अदाकी गली, जोरापुरपेठ, जिला-विजयपुर, कर्नाटक-586101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 96, आर.एस. नंबर 381, महलबगायत, विजयपुरा, कर्नाटक-586103 में **11.95 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट+जीएफ+2 मंजिलों के साथ बेसमेंट=710.23 वर्गमीटर, जीएफ=678.88 वर्ग मीटर, 1एफ=2एफ=516.70 वर्ग मीटर, बेसमेंट की गहराई=01.50 मीटर (जमीनी स्तर से नीचे) के वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 72

(श्री मल्लिकार्जुन कन्नोली पुत्र बलप्पा कन्नोली, आईबी इंजीनियर्स और बिल्डर्स, जाला नगर, हुडको, विजयपुरा, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नं. 303/1+3+4+5, पी.नं. 39, कनकदास बदावने, महलबगायत, विजयपुर, कर्नाटक में **07.40 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ GF=91.00 वर्गमीटर, 1F=112.00 वर्गमीटर के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 73

(श्री बी.एल. प्रशांत पुत्र बी लक्ष्मी कांत सेट्टी, नंबर 600, श्री श्रीनिवास निलया, वार्ड नंबर 22, एनएमडीसी कॉलोनी, संकलापुरा, होसपेट, जिला-विजयनगर कर्नाटक-583201)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पीआईडी नंबर 150500400203602729, प्लॉट नंबर 75, सर्वे नंबर 77/बी1, मलापनगुडी ग्राम, होसपेट, कर्नाटक में **07.50 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=51.42 वर्गमीटर, 1एफ=69.18 वर्गमीटर के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी को उचित स्थल पते के साथ स्व-घोषणा प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 74

(श्री देवाचारी आर, सी/ओ आरबी बडिगर, फर्स्ट क्रॉस, शिवलिंग नगर, श्री बनशकारी मंदिर के बगल में, जिला-हावेरी, कर्नाटक-581110)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने ई-स्वत्तु 27-5-614-276, आरएस नंबर-2/बी, प्लॉट नंबर 16, कुंभार गुंडी, हावेरी, कर्नाटक में **07.30 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ GF=1F= 69.29 वर्गमीटर के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 75

(जगदगुरु श्री श्री अभिनव शंकर भारती महास्वामी, श्रीमद् जगदुरू शंकराचार्य कुडाली, श्रृंगेरी महासंस्थान दक्षिणाम्नाय शारदा पीठ, कुदाली शिवमोगा तालुक और जिला, कर्नाटक-57227)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने साइट नंबर 19, श्रीमज्जगद्गुरु कुडली श्रृंगेरी, श्री शंकराचार्य महासंस्थान, कुडली शिवमोग्गा, कर्नाटक में **07.00 मीटर** (सभी सहित) की ऊंचाई के साथ ग्राउंड फ्लोर के साथ GF= 789.68 वर्गमीटर की ट्रस छत (अस्थायी छत का निर्माण) के साथ सार्वजनिक संस्थागत भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 76

(श्री जी.एस. किरण पुत्र शिवशंकर, नं. 279, शिव भैरव निलय, मारिगुडी रोड, गुंडलुपेट, जिला-चामराजनगर, कर्नाटक-571111)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने संपत्ति संख्या (12-112-32), वार्ड नंबर 03, एएसएसटी नंबर 241/198, रिकॉर्ड नंबर 1427434, वीएनएस, प्रथम श्रेणी, गुंडलुपेट तालुक और चामराजनगर जिला, कर्नाटक में **07.50 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ GF=1F=80.73 वर्गमीटर के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 77

(श्री सी.के. नागराजू, पुत्र स्वर्गीय चिक्का करियाना, कोटे बीधी, प्रथम डिवीजन, चौथा वार्ड, गुंडलुपेट, जिला- चामराजनगर, कर्नाटक-571111)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एएसएसटी नंबर: 68/68/65, पीआईडी नंबर 18-7-109, 2सरा डिवीजन, 8वां वार्ड, केआरसी रोड, गुंडलुपेट में **09.00 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ GF=1F=2F=136.29 वर्गमीटर के वाणिज्यिक दुकान भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 78

(श्री एन.एस. नागराजू, पुत्र स्वर्गीय एन.एम. श्रीनिवास, नंबर 196, राममंदिर रोड, ओक्कलगेरी, नंजनगुड, जिला-मैसूर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पीआईडी नंबर 40-507-198, एएन./1166, वार्ड नं. 04, कनाजाडा बीड़ी, नंजनगुड, कर्नाटक में **09.00 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ GF=1F=2F=74.16 वर्गमीटर के वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 79

(श्री के.आर. कुमार, पुत्र के.वी. राम शेट्टी, रिवर स्ट्रीट, बेलूर, हसन जिला, कर्नाटक-573115)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने केएच नंबर 4351/3194, ओल्ड मुदिगेरे रोड, जेपी नागारा, बेलूर टाउन, बेलूर तालुक, जिला-हसन, कर्नाटक में **08.64 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट+जीएफ+1 मंजिल के साथ बेसमेंट=GF=1F=208.38 वर्गमीटर के वाणिज्यिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** फॉर्म-IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी को उचित स्थल पते और हस्ताक्षर के साथ स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के अधीन करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 80

(शफीक सी.एम. और शाइमा शेरिन आरएम, चेम्ब्रयूर हाउस, वेल्लार्कड पीओ, त्रिशूर, केरल-680604)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नं. 627/1-1, 626/4-1-2, ग्राम- वेल्लारक्कड़, तालुक-कुन्नमकुलम, ग्राम पंचायत-कदनगोडे जिला-त्रिशूर, केरल में **07.25 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=171.51 वर्ग मीटर, 1एफ=94.73 वर्गमीटर, चारदीवारी= 18.90 एलएम, कुएं की गहराई=07.05 मीटर, चारदीवारी की ऊंचाई 01.50 मीटर के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 81

(श्री अब्दुल खादर, थाय्यिल हाउस, नेताजी रोड, मनकुनी, सुल्तान बाथरी, पीओ, वायनाड, केरल-673592)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आर. सर्वे नं. 535/55, वार्ड नं. 32, सुलतान बाथरी नगर पालिका, केरल में **03.85 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के साथ जीएफ=111.25 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 82

(श्री मालोजिराजे छत्रपति, अवैतनिक सचिव. अखिल भारतीय श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटी, 55-56, शिवाजी नगर, पुणे 411005, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक को प्रस्तावित कार्य पर प्राधिकरण के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कहा।

पावरप्वाइंट प्रस्तुतिकरण

मामला संख्या 83

(द एस्से पेट्रोलियम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:- श्री शन्मुख पाटिल, मकान नं. 2-909/49/61/1, के.एन. पाटिल, वीरेंद्र पाटिल, लेआउट, तीसरा ब्लॉक, सेदम रोड, कालाबुरागी, कर्नाटक-585105)

आवेदन पर विचार करने और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री शन्मुख पाटिल की प्रस्तुति के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित विवरण के साथ क्रमांक 4, आरओएच 9-149-152, सीटीएस नंबर 1246, शाहबाजार रोड गांव, कटगरापुरा, तहसील-गुलबर्गा, कर्नाटक-585101 में वाणिज्यिक भवन (ऑटो एलपीजी डिस्पेंसिंग पंप स्टेशन) के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया;

निर्माण का प्रस्ताव	**नियंत्रण कक्ष**	**बाड़ लगाना**	**चंदवा**
तलक्षेत्र	जीएफ = 743.40 वर्गमीटर (कुल भूखंड क्षेत्र)		
ऊंचाई (सभी सहित)	03.90 मी.	02.00 मी.	05.60 मी.
गहराई	यू/जी एलपीजी टैंक - 03.35 मीटर (जमीनी स्तर से नीचे)		

सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

अतिरिक्त कार्यसूची

मामला संख्या 84

(श्री योगेश मलिक, 38 बी, हनुमान रोड, दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **खारिज** करने का निर्णय लिया:

क) आवेदक को संपत्ति के मालिक के रूप में स्थापित करने वाला संपत्ति दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था।
ख) भवन योजना पर लाइसेंस प्राप्त वास्तुकार द्वारा हस्ताक्षर और मोहर नहीं लगाई गई है।
ग) भवन योजना में प्रस्तावित भवन की ऊंचाई फीट के स्थान पर मीटर में अंकित की जानी चाहिए।
घ) प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 18.00 मीटर तक सीमित रखी जानी चाहिए। (सभी को सम्मिलित करते हुए)।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली के माध्यम से नए सिरे से आवेदन कर सकता है।

मामला संख्या 85

(मैसर्स ला कासा कंस्ट्रक्शन एलएलपी अपने नामित भागीदार श्री अर्जुन पंवार और मैसर्स लोटस एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड निदेशक श्री अविनाश ठुकराल और अन्य, सी1/13, सफदरजंग विकास क्षेत्र, नई दिल्ली के माध्यम से)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **खारिज** करने का निर्णय लिया क्योंकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत भवन योजना में ममटी की ऊंचाई शामिल नहीं थी। प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 18.00 मीटर (सभी सहित) तक सीमित रखी जानी चाहिए। उपरोक्त अवलोकन का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली के माध्यम से नया आवेदन कर सकता है।

मामला संख्या 86

(श्रीमती भावना दासवानी, श्री पारुल गोयल एवं श्री गुरलीन सिंह मक्कड़, वाई-4, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **खारिज** करने का निर्णय लिया:

i. फॉर्म-I/फॉर्म-II में स्वामित्व की स्थिति का उल्लेख व्यक्तिगत स्वामित्व के रूप में किया गया है, जबकि आवेदन तीन मालिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
ii. फॉर्म-I/फॉर्म-II में आवेदक का नाम भवन के रूप में उल्लिखित है जबकि संपत्ति दस्तावेज़ और स्व-घोषणा में आवेदक का नाम "भावना" के रूप में उल्लिखित है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली के माध्यम से नए सिरे से आवेदन कर सकता है।

मामला संख्या 87

(श्री नरेश गुलाटी, श्री सुरेश गुलाटी और श्रीमती नीरू गुलाटी, संपत्ति संख्या-242, पंजाबी गली, सराय पीपल थला, आदर्श नगर, दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने संपत्ति संख्या-242, पंजाबी गली, सराय पीपल थला, आदर्श नगर, दिल्ली में **17.92 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ स्टिल्ट+जीएफ+3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट=जीएफ =1एफ=2एफ=3एफ=86.453 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन अनुमति देने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 88

(श्रीमती शोनाली बेदी, श्रीमती ओन्जालि वाधवा और श्रीमती रोहिणी तायल, सी-33, मेफेयर गार्डन, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **खारिज** करने का निर्णय लिया क्योंकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत भवन योजना में ममटी की ऊंचाई शामिल नहीं थी। प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 18.00 मीटर (सभी सहित) तक सीमित रखी जानी चाहिए। उपरोक्त अवलोकन का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली के माध्यम से नया आवेदन कर सकता है।

मामला संख्या 89

(श्री रमन ओबेरॉय और श्रीमती शोभा ओबेरॉय, जे-93, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-110049)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **खारिज** करने का निर्णय लिया:

I. फॉर्म-I/फॉर्म-II में स्वामित्व की स्थिति व्यक्तिगत स्वामित्व के रूप में उल्लिखित है, जबकि आवेदन दो आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

II. विक्रय-विलेख की प्रतिलिपि जिसके माध्यम से संपत्ति कानूनी उत्तराधिकारियों के पिता (मृतक) द्वारा अर्जित की गई थी, जो त्याग विलेख के माध्यम से संपत्ति के उत्तराधिकारी थे, संलग्न नहीं है।

III. त्याग विलेख के आधार पर आवेदकों के नाम पर संपत्ति का परिवर्तन करने के लिए एमसीडी द्वारा जारी नामान्तरण पत्र की प्रति जमा नहीं की गई।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली के माध्यम से नए सिरे से आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली अपनी रिपोर्ट में उल्लिखित आंकड़ों के अलग-अलग सेट को देखते हुए, केंद्रीय संरक्षित स्मारक से प्रस्तावित निर्माण स्थल की दूरी को फिर से सत्यापित करे।